डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः–R/2561/2017
दिनांकः–20/05/2017

1. निदेशक/निदेशिका एवं विभागाध्यक्ष, आवासीय परिसर के समस्त संस्थान एवं विभाग।
2. प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय, डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. वित्त अधिकारी।
4. समस्त उपकुलसचिव, ओ०एस०डी०/कार्यालय अधीक्षक।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा अपनी कतिपय समस्याओं के संबंध मे अपने प्रत्यावेदन महामहिम कुलाधिपति महोदय/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश को सीधे प्रेषित कर दिये जाते है जो नियमानुकूल नहीं है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में, मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त शिक्षकगण अपनी समस्याओं संबंधी प्रत्यावेदन कुलपति महोदय को तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारीगण अपना प्रत्यावेदन अद्योहस्ताक्षरी/कुलसचिव को प्रेषित करें। सीधे कुलाधिपति महोदय को कोई भी प्रत्यावेदन प्रेषित नहीं किया जाय। यदि किसी शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा सीधे कुलाधिपति महोदय को प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया तो यह शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी आचार संहिता में निहित प्रावधानों के विपरीत माना जायेगा।

(कैलाश नाथ सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष कार्याधिकारी पदेन सचिव कुलाधिपति महोदय, राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ।
2. अधीक्षक, कुलपति कार्यालय।
3. एजेन्सी 2015 को सम्बद्ध महाविद्यालय की लॉगिन आईडी में अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव